

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 151/2019

इन्डिया शेल्टर फाईनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय तीसरी मंजिल, कैनरा बैंक के ऊपर, आईडीबीआई बैंक के पास, डाक बंगला के सामने, अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़-305801, जिला-अजमेर, राजस्थान। पंजिकृत कार्यालय -प्लॉट नं.15, 6th फ्लोर, इंस्टीटूशनल एरिया, सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1) श्रीमती हसीना पत्नि श्री कादर
निवासी-13, मस्जिद के पास, ग्राम गेगल, तहसील अजमेर,
जिला अजमेर-305023(राज.)
- (2) श्री कादर पुत्र श्री अहमद हूसैन
निवासी-13, मस्जिद के पास, ग्राम गेगल, तहसील अजमेर,
जिला अजमेर-305023(राज.)

.....अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री सुशील कुमार व्यास

अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 11.10.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 20.12.2017 को रु 4,50,000/- (अक्षरे चार लाख पचास हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम पंचायत गेगल, पंचायत समिति श्रीनगर तहसील अजमेर जिला-अजमेर स्थित खसरा नं0 331 में से क्षेत्रफल 230 वर्ग गज, पट्टा संख्या 12 की सम्पत्ति जो श्री कादर पुत्र श्री अहमद हूसैन के नाम से है, को बतौर जमानत प्रार्थी कम्पनी के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.01.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 11.02.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रुपये-4,66,095/- (अक्षरे चार लाख छियासठ हजार पिच्यानवे रुपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्मलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of



At Sharma

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी कम्पनी को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी कम्पनी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में बंधक सम्पत्ति ग्राम पंचायत गोगल, पंचायत समिति श्रीनगर तहसील अजमेर जिला-अजमेर स्थित खसरा नं0 331 में से क्षेत्रफल 230 वर्ग गज, पट्टा संख्या 12 की सम्पति जो श्री कादर पुत्र श्री अहमद हूसैन के नाम से है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी कम्पनी पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.10.2019 को सुनाया गया।



Sharma
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर